bdkbZ 14 jktuhfrd fgalk

bdkbZ dh :ijs[kk

14.1 प्रस्तावना

14.2 राजनीतिक हिंसा का अर्थ

14.3 हिंसा और राज्य

- 14.3.1 राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक एकीकरण
- 14.3.2 राजनीतिक हिंसा और आर्थिक विकास प्रक्रिया

14.4 राजनीतिक हिंसा के कारण

- 14.4.1 राजनीतिक हिंसा के सामान्य कारण
- 14.4.2 राष्ट्रीय आत्म–निर्णय की अवधारणा
- 14.4.3 विचारधारा
- 14.4.4 धार्मिक व नृजातीय संघर्ष
- 14.4.5 विभिन्न अभिजात वर्गों के बीच राजनीतिक द्वंद्व
- 14.4.6 आर्थिक स्थितियाँ और सापेक्ष वंचना (Relative Deprivation) की अवधारणा
- 14.4.7 समीपवर्ती देशों द्वारा समर्थन

14.5 राजनीतिक हिंसा के रूप

- 14.5.1 सरकार के विरुद्ध लोगों द्वारा हिंसक विरोध–प्रदर्शन
- 14.5.2 आतंकवाद
- 14.5.3 सैन्य विद्रोह और तख़्ता–पलट
- 14.5.4 विद्रोह और राजद्रोह
- 14.5.5 युद्ध

14.6 क्रांति

- 14.6.1 क्रांति का अर्थ
- 14.6.2 क्रांति के तीन चरण
- 14.6.3 क्रांति के सिद्धांत

14.7 राजनीतिक हिंसा पर काबू पाने के तरीके

- 14.7.1 सुधारों व उपचारों वाली विधियाँ
- 14.7.2 बल–प्रयोग विधि
- 14.7.3 दाम–दण्ड नीति

14.8 सारांश

14.9 अभ्यास

14-1 iLrkouk

अधिकांश आधुनिक समाजों में राजनीतिक हिंसा उन सामाजिक तनावों का ही परिणाम होती है, जो उनमें विभिन्न कारणों से पनपते हैं। सामान्यतः, राजनीतिक हिंसा राज्य की ओर अभिलक्षित होती है क्योंकि राज्य को ही अन्याय और दमन का मुख्य स्रोत समझा जाता है। परिणामतः, समाज के विभिन्न वर्ग अपनी समस्याओं को हल करने हेतु हिंसा का सहारा ले रहे हैं। वे हिंसक तरीके अपना रहे हैं, क्योंकि राज्य लोगों से नियमित आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने में असफल रहा है। सरकार की 'ग़लत' नीतियों के विरुद्ध समाज के निश्चित वर्गों के विरोध को दर्ज करने हेतु हिंसा एक इच्छाकृत राजनीतिक कार्रवाई है। आधुनिक युग में, सरकार के स्वरूप में फेर–बदल करने और सामाजिक प्राधार को बदल डालने हेतु क्रांति एक राजनीतिक हिंसा के रूप में कार्यान्वित की जाती है।

राजनीतिक हिंसा एक विचारात्मक राजनीतिक गतिविधि है, जिसके नैतिक दृष्टि से बहुत सही निहितार्थ हैं। अरस्तू के कहने का आशय यह है कि इंसान बग़ावत नहीं करता, क्योंकि वह मौत बुलाना नहीं चाहता। इसी कारण, उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक हत्यारे द्वारा भोग जाने वाले सम्मान की तुलना एक साधारण हत्यारे को मिलने वाले स्थान से नहीं की जा सकती है। राजनीतिक हिंसा के समर्थक इसको नैतिक आधारों पर उचित ठहराते हैं। उनका तर्क होता है कि वे घटिया सरकार के विरुद्ध और एक उचित उद्देश्य को लेकर लड़ रहे हैं। हिंसा के विरोधी जन न्यायपूर्ण रूप से गठित सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए आतंकवादी गतिविधियों की निंदा करते हैं। इस प्रकार, एक देश का आतंकवादी दूसरे देश के लिए एक 'स्वतंत्रता सेनानी' होता है।

14-2 jktuhfrd fgalk dk vFk

राजनीतिक हिंसा लोगों के समूह की अपने असंतोष को उजागर करने के लिए सरकार के विरुद्ध एक सामूहिक हिंसात्मक कार्यवाही है। यह सरकारी की किसी नीति–विशेष के खिलाफ विरोध–प्रदर्शन स्वरूप हो सकती है, यह किसी सरकार–विशेष को सत्ता से हटाने के लिए हो सकती है, अथवा इसका सहारा राजनीतिक व्यवस्था को बदल डालने के लिए लिया जा सकता है।

आक्रमण और हिंसा एक लम्बे समय से मानव इतिहास का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति हिंसा और आक्रमण उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पसंद करने लगता है, जो उसके पास नहीं होतीं अथवा उन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए जो वे उसके पास होती हैं। सामान्यतः, राजनीतिक हिंसा राज्य, उसकी सम्पत्ति और उन व्यक्तियों के विरुद्ध दिशानिर्देशित होती है, जो उसकी संस्थाओं को चलाते हैं। राजनीतिक हिंसा दंगा–फसाद अथवा व्यापक प्रदर्शनों से शुरू हो सकती है। परन्तु यह संभावना हमेशा होती है कि वह भिन्न रूप ले ले।

अरस्तू ही पहले राजनीति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति व उसके कारणों की चर्चा की। उनके कहने का आशय यह था कि किसी राज्य–विशेष में सामाजिक शक्ति–संतुलन में परिवर्तन ही राजनीतिक अव्यवस्था हेतु उत्तरदायी था। भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य (चाणक्य) का मत था कि व्यक्ति के अपने ही लोगों की प्रकृति में परिवर्तन बग़ावत है। यह सरकार की किसी ग़लत नीति और राजा के अशिष्ट व्यवहार के कारण होती है। इस प्रकार, प्राचीन समय से

ही, राजनीतिक हिंसा ने राज्य में अव्यवस्था फैलाई है और आधुनिक युग में, राजनीतिक हिंसा की समस्या ज़्यादा सुस्पष्ट और जटिल हो गई है।

14-3 fgalk vkj jkT;

अपनी चर्चा में हमने देखा कि राजनीतिक हिंसा अधिकतर राज्य और उसकी विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ़ दिशानिर्देशित होती है। इसीलिए, यह भी उतनी ही पुरातन है, जितना कि राज्य स्वयं। हिंसा राज्य–संस्था में अन्तर्निर्मित है। यह अपने हाथों में जबरदस्त ताकत का एकाधिकार रखती है। राज्य इस शक्ति का प्रयोग अपने दमनकारी अभिकरणों की मदद से करता है, जैसे कि सेना, पुलिस, जेल व अदालत। वह उन लोगों को दण्डित कर सकता है, जो उसके आदेशों का पालन नहीं करते और जो कानून व व्यवस्था को भंग करते हैं। राज्य शासनाधिकार का दावा करता है और वह अधिकार विधि–स्वीकृति अथवा जन–स्वीकृति की सहायता से प्राप्त करता है। जब राज्य शक्ति प्रयोग करता है, वह अपने आदेश को लागू करने के लिए विधिवत् स्वीकृत हिंसा का प्रयोग करने का हक़दार होता है। कदापि नहीं तो अक्सर ही, राज्य दमनकारी तरीके अपनाता है, जो कानून द्वारा स्वीकृत नहीं होते। हिंसा प्रयोग की प्रचण्डता राज्य–राज्य में भिन्न–भिन्न होती है, क्योंकि यह आखिरकार दमन प्रयोग किए बिना अपने आदेशपालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है।

आधुनिक राज्य उत्तरोत्तर हिंसात्मक तरीकों को अपना रहे हैं, क्योंकि वे देश में राजनीतिक एकीकरण लाने के साथ–साथ आर्थिक विकास प्रक्रिया को भी त्वरित करना चाहते हैं।

14-3-1 jktuhfrd fgalk vkj jktuhfrd ,dhdj.k

राज्य समाज की एक संस्था है और उसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है, राष्ट्र का सामाजिक व राजनीतिक एकीकरण करवाना। प्राचीन व मध्यकालीन राज्यों ने अनेक स्वायत्त राजनीतिक प्राधिकरणों के सह–अस्तित्व को अनुमति दी। आधुनिक राज्य लोगों पर अपने सम्पूर्ण प्राधिकार तथा अपने न्यायाधिकार क्षेत्र को स्थापित करना चाहता है। प्रत्येक राज्य में भिन्न सांस्कृतिक व नृजातीय समूह होते हैं और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण की यह इच्छा होती है कि इन सांस्कृतिक समूहों को किसी एक–केन्द्रिक प्राधिकार के अन्तर्गत किसी एक राजनीतिक इकाई के भीतर संकलित कर दे। ऐतिहासिक रूप से, कुछेक अपवादों के साथ, यह प्रक्रिया एक प्रकार की ऐसी परम हिंसा रही है, जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के बलात् निर्वासन, उनके बलात् धार्मिक व सांस्कृतिक परिवर्तन तथा व्यापक जन–स्थानांतरणों हेतु उनके तमाम वर्गों की दैहिक हत्या से भिन्न थी। यह हिंसा राज्यों द्वारा उनके ही नागरिकों पर अथवा उन पर जिनको वह अपने नागरिक होने का दावा करते हैं, प्रयोग की जाती रही है, और हिंसा एक नीति–शस्त्र की मानिंद प्रयोग की जाती रही है। इस नीति का प्रयोजन था, किसी न किसी कारण को लेकर उन लोगों पर राज्य के राजनीतिक प्राधिकार को फैलाना, जो उसके प्राधिकार को वैधानिक न मानते हों।

आधुनिक राज्य उन सामन्ती व जनजातीय समुदायों के ख़ात्मे पर खड़ा हुआ था, जो आज़ाद हस्तियाँ थे। पश्चिम यूरोप में यह संघटन एक बार हो जाने के बाद राज्य के अनेक अभिकरणों द्वारा राज्य–हिंसा के यादृच्छिक प्रयोग को हाथ में लेने हेतु प्रयास किए गए, जैसे कि सेना, पुलिस तथा उनके निकटस्थ नियंत्रक : राजा, मंत्रीगण, सेनानायक व नौकरशाह। वर्तमान में, एशिया व अफ्रीका के अधिकांश देश इस प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं; इसी कारण इन राज्यों में राजनीति सर्वाधिक हिंसक है।

14-3-2 jktuhfrd fgalk vkj vkfFkd fodkl izfØ;k

ऐतिहासिक रूप से हमने देखा कि राज्य आर्थिक विकास के उन आरम्भिक चरण में हिंसा का प्रयोग करता था जब एक कृषि–आधारित हस्तशिल्प व्यवस्था से एक अपेक्षाकृत श्रम–निहित शिल्पशाला व्यवस्था की ओर अवस्थान्तरण हो रहा था। इस अवधि के दौरान, एक विशाल जनसंख्या को इस परिवर्तन का कष्ट भोगना पड़ा। राज्य ने उन किसानों के भूमि–विषयक विद्रोहों को दबाने के लिए अत्यधिक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया, जो सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे। उसने कर्मचारियों के अधिकारों पर रोक लगाकर और श्रमिक–संघों को अवैध घोषित करके निजी उद्योगों की रक्षा हेतु अपने प्राधिकार का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए, 1830 में ग्रामीण इंग्लैण्ड में 'कैप्टन'ज़ स्विंग' उपद्रवों के दौरान, जब कृषि–यंत्रों को नष्ट कर दिया गया, पशुओं को मार दिया गया, फसलों को बरबाद कर दिया गया और भले मानुषों को दागा गया, राज्य ने 1976 किसानों को गिरफ़्तार किया, 481 किसानों को देश–निकाला दिया और 18 किसानों को फाँसी दे दी। इस प्रकार, आरंभिक फैक्टरी व्यवस्था में व्याप्त अमानवीयता के खिलाफ़ आन्दोलन करने वालों की किस्मत में कालापानी, कारावास, चाबुकाघात और यहाँ तक कि मौत ही बदी थी। नियोजित के साथ–साथ अनियोजित आर्थिक–विकास प्रक्रिया में भी बल–प्रयोग शामिल था, क्योंकि नयी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा थी कामगार वर्गों के उपभोग–स्तरों पर रोक लगाकर पूँजी निर्माण करना। इस प्रकार, समाज के कुछ निश्चित वर्गों हेतु उच्चतर आर्थिक मानदण्ड प्राप्त करने के प्रयासों ने उन वंचित वर्गों की हिंसक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया, जो उन्हें झेल रहे थे।

संक्षिप्ततः, राजनीतिक एकीकरण और आर्थिक विकास प्रक्रिया में, राजनीतिक हिंसा का स्तर बहुत ही ऊँचा है। राज्य अपने नागरिकों की तुलना में महत्त्वपूर्ण रूप से आंतरिक हिंसा की ज़्यादा प्रयोग–क्षमता रखता है।

14-4 jktuhfrd fgalk d dkj.k

ऐसे अनेक कारण हैं जो राजनीतिक हिंसा को जन्म देते हैं। मनुष्य हिंसा का सहारा एक अंतिम उपाय बतौर ही लेता है। अरस्तू ने ठीक ही कहा है कि इंसान बग़ावत नहीं करता, क्योंकि वो मौत बुलाना नहीं चाहता। लोग हिंसक तरीकों को प्रयोग करना तभी तय करते हैं, जब लगता है एक समुदाय रूप में उनकी उत्तरजीविता ख़तरे में है और जब तक वे इसके खिलाफ़ लड़ेंगे नहीं, उन्हें अन्तहीन पीड़ा झेलनी होगी। सामान्यतः, लोग अपनी शिकायतों के निवारणार्थ कानूनी रूप से उपलब्ध साधनों को अशक्त कर देते हैं। परन्तु यदि कानूनी तरीके लाभ पहुँचाने में विफल रहते हैं, लोग हिंसा अपनाते हैं।

राजनीतिक हिंसा के कुछ कारण निम्नलिखित हैं :

1) आम कारण, 2) राष्ट्रीय आत्म–निर्धारण संकल्पना, 3) विचारधारा, 4) धार्मिक व नृजातीय संघर्ष, 5) अभिजात– आभिजात्य वर्गों के बीच राजनीतिक संघर्ष, 6) आर्थिक परिस्थितियाँ व सापेक्ष वंचन अवधारणा, और 7) निकटवर्ती देशों द्वारा समर्थन।

14-4-1 jktuhfrd fgalk dk lkekU; dkj.k

अपनी पूर्व चर्चा में हमने देखा कि राजनीतिक हिंसा एक निकम्मी सरकार का परिणाम है। कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में कहा है कि सरकार की ग़लत नीतियाँ और शासकों का अशिष्ट व्यवहार ही प्रजा की बग़ावत को जन्म देता है। सरकार की ग़लत व दमनकारी नीतियाँ जनता के दिमाग़ में नाराज़गी पैदा कर देती हैं और लोग उन ग़लत नीतियों को बदल डालने के लिए हिंसक हो उठते हैं। अत्यधिक काराधान, अनिवार्य जिंसों की मूल्य–वृद्धि, शक्ति–प्रयोग में कानून व नैतिकता की साभिप्राय अवहेलना, समाज के कुछ निश्चित वर्गों के साथ अन्यायसंगत सलूक, राजनीतिक अक्षमता व अराजकता तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन को दबाने के लिए अत्यधिक व अकुशल बल–प्रयोग, आदि हिंसा के आम कारण हैं। कौटिल्य ने दृढ़तापूर्वक कहा कि दरिद्रता, लोभ और असंतोष ही विद्रोह के कारण हैं।

14-4-2 jk"Vªh; vkRe&fu.kZ; dh vo/kkj.kk

गत दो शताब्दियों के दौरान, तीसरी दुनिया के बहुत से देश विदेशी शासन के अधीन हो गए। वे पश्चिमी देशों के उपनिवेश बन गए। तीसरी दुनिया के लोग स्वयं को विदेशी शासन से मुक्त करना चाहते थे। अतएव, उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ़ हिंसक संघर्ष छेड़ दिया। आधुनिक युग में, अमेरिकी आदि–उपनिवेशक ही सर्वप्रथम थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से अपने देश को आज़ाद करने के लिए हथियार उठाये। हमारे पास वियतनाम, अल्जीरिया व इण्डोनेशिया जैसे अफ्रीकी–एशियाई देशों में इस प्रकार के संघर्षों के अनेक उदाहरण हैं। महात्मा गाँधी के शान्तिवादी विचारों की वजह से, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन व्यापक रूप से अहिंसात्मक ही रहा, यद्यपि भारत में भी कुछेक सशस्त्र क्रांतिकारी रहे जैसे सावरकर, बाघा जतिन, भगत सिंह तथा सुभाषचन्द्र बोस।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, तीसरी दुनिया के बहुत से देश स्वतंत्र हो गए। इन देशों के सामने राष्ट्र–निर्माण की समस्या थी, क्योंकि राजनीतिक एकीकरण प्रक्रिया कमज़ोर थी। परन्तु जनता के दिमाग़ में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी। इन राज्यों में कुछ प्रांतों ने, जिनकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा धार्मिक पहचान थी, अपने–अपने अधिकारक्षेत्र हेतु आत्म–निर्णय के अधिकार की माँग की। राष्ट्रीय स्व–निर्णय आन्दोलन के समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु एक आन्दोलन कहा, जबकि इन आन्दोलनों के विरोधियों ने इन्हें उत्तराधिकारवादी आंदोलन कहा। भारत में, हम इस प्रकार के आन्दोलनों का जम्मू–कश्मीर, नागालैण्ड, मणिपुर व असम में सामना कर रहे हैं। अधिकांश तीसरी दुनिया के देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन व कनाडा जैसे विकसित देशों ने भी क्रमशः उत्तरी आयरलैण्ड व क्यूबैक में उत्तराधिकार की समस्या का सामना किया। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी तथा श्रीलंका में लिट्टे विश्व में सर्वाधिक दुर्दान्त पृथक्तावादी गिराह हैं। इन आन्दोलनों की पहचान होती है दोनों ही ओर से अत्यधिक हिंसा प्रयोग। इस प्रकार, राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्व–निर्णयन् हेतु आन्दोलनों को भी प्रेरित किया।

14-4-3 fopkjk/kkjk

आधुनिक युग में, राजनीतिक हिंसा को फैलाने में विचारधारा ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विचारधारा लोगों को संघटित करती है और राज्य के खिलाफ़ संघर्ष छेड़ने हेतु उन्हें एक निश्चित कारण प्रदान करती है। विचारधारा ही समाज की वर्तमान परिस्थितियों को स्पष्ट करती है और एक

बेहतर शासन–व्यवस्था लाने के लिए उसे बदल डालने हेतु लोगों का आह्वान करती है। आधुनिक युग में अधिकांश आन्दोलन स्वभावतः वैचारिक ही हैं।

दो विश्वयुद्धों के बीच यूरोप में साम्यवाद–विरोधी (फ़ैसिस्ट) आन्दोलन लोकप्रिय हो गया। फ़ैसिस्टवादियों ने बल–प्रयोग व हिंसा को महिमान्वित किया और राष्ट्र–राज्य समर्थकों के हितैक्य की वक़ालत की। इटली में फ़ासिस्टवाद और जर्मनी में नाज़ीवाद ने राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए हिंसा का उग्र रूप अपनाया।

क्रांतिकारी समाजवाद की विचारधारा ने एक बड़ी संख्या में उन लोगों को आन्दोलित किया, जो हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। ये समाजवादी पूँजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन का पक्षग्रहण करते हैं, जो कि राज्य–हिंसा पर आधारित है। ये समाजवादी एक ऐसा वर्गरहित और राज्यरहित समाज स्थापित करना चाहते हैं, जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर दे। हमारे पास रूसी क्रांति, चीनी क्रांति व क्यूबन क्रांति जैसी सफल क्रांतियों के उदाहरण हैं। समाजवादियों का तर्क है कि वे राज्य–हिंसा का सामना करने के लिए ही हिंसा का सहारा लेते हैं। ऐसे अनेक देश हैं, जो आज भी हिंसक समाजवादी क्रांतियों के प्रत्यक्ष दर्शक हैं। भारत, नेपाल, इण्डोनेशिया, व बर्मा ऐसे ही देश हैं जो समाजवादियों द्वारा हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों के जीते–जागते उदाहरण हैं। भारत में, क्रांतिकारी राजनीतिक गतिविधियों में नक्सलवादी लिप्त हैं।

14-4-4 /kkfed o u`tkrh; l?k"k

विश्व के अधिकांश देशों में ऐसे लोग रहते हैं, जो विभिन्न धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हैं और विभिन्न नृजातीय समूहों से संबंध रखते हैं। इसी कारण, अधिकतर देशों में धार्मिक व नृजातीय अल्पसंख्यक दल होते हैं। आधुनिक राज्य उन्हें किसी एक–केन्द्रिक राजनीतिक प्राधिकार के अधीन लाने का प्रयास कर रहा है। धार्मिक व नृजातीय अल्पसंख्यक दल इस प्रयास का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस राजनीतिक एकीकरण की वजह से उसकी अलग पहचान लुप्त हो जाएगी। जिस क्षण इस नीति को सुझाने हेतु ज़ोर दिया जाता है, ये समुदाय प्रतिरोध और हिंसा का सहारा लेते हैं।

सत्रहवीं व अठारहवीं शताब्दियों के दौरान अनेक पश्चिम यूरोपियन देशों ने धार्मिक संघर्षों को प्रत्यक्ष देखा। विवाद कैथॅलिक्स और प्रोटिस्टॅण्ट्स के बीच था। अब आधुनिक यूरोपियन राज्य यह दावा करते हैं कि वे धर्मनिरपेक्ष हैं और चर्च और राज्य के बीच दूरी कायम कर चुके हैं। परन्तु पूर्वी यूरोप, एशिया व अफ्रीका के अनेक देशों में धार्मिक झगड़ा आम बात है। अन्तर्जातीय संघर्ष दो धार्मिक संप्रदायों के बीच, ईसाइयों व मुसलमानों के बीच, यहूदियों व मुसलमानों के बीच, अथवा हिन्दुओं व मुसलमानों के बीच हुआ करते हैं। किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के भीतर अन्तःजातीय संघर्ष होता है, जब कोई विशिष्ट धार्मिक सम्प्रदाय भ्रष्ट प्रथाओं वाले धर्म को दोष–मुक्त करना चाहता है। वे रूढ़िवादी समूह, जो अपने धर्म को शुद्ध करना चाहते हैं, हिंसा का उग्र रूप अख़्तियार कर लेते हैं। वे लोग जो धर्म के इस 'अतिशय नियमनिष्ठ' दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते, धर्म के शत्रुओं के रूप में देखे जाते हैं और एक सांघातिक युद्ध–स्थिति बन जाती है। अल्जीरिया, मिस्र, अफ़गानिस्तान व अनेक मुस्लिम देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

सांस्कृतिक रूप से और नृजातीय रूप से, आधुनिक समाज समरूप नहीं होते। सांस्कृतिक व नृजातीय अल्पसंख्यक दल अपनी अलग पहचान को बचाकर रखना चाहते हैं। अतएव, वे अपने अधिकारों को

सुनिश्चित व सुरक्षित करना चाहते हैं। ये अल्पसंख्यक दल प्रजाति, भाषा व संस्कृति के आधार पर बनाए जाते हैं। यदि उन्हें ख़तरा लगता है तो वे हिंसा अपनाते हैं। कनाडा में क्यूबैक प्रांत, भारत में नागालैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैण्ड, रूस में चेचेन्स, चीन में तिब्बती और इराक़ व ईरान में कुर्द इसके उदाहरण हैं। अल्पसंख्यक जातियाँ अपनी पहचान को महत्त्व देते हैं और बहुसंख्यक जातियाँ/दल उनकी राजनीतिक निष्ठा पर संदेह करते हैं। श्रीलंका जैसे कुछ उदाहरणों में, अल्पसंख्यकों के संघर्ष ने पृथक्तावादी हिंसा का रूप ले लिया, जो विद्रोह में फूटा।

14-4-5 fofHkUu vfHktkr oxk d chp jktuhfrd }U}

हर राज्य में शासी अभिजात वर्ग में कुछ समूह और गुट होते हैं, और ये समूह व गुट सत्ता–राजनीति में लगे रहते हैं। ये समूह व गुट गली–प्रदर्शन, साम्प्रदायिक दंगे व तोड़–फोड़ करवाकर लोगों का समर्थन जुटाने के लिए हिंसात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सरकार में अच्छी पैठ रखने वाला कोई समूह इस हिंसा को दबाने के लिए राज्य संस्थाओं की दमनकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। इस अभिजात वर्ग के बीच राजीनीतिक विवाद उक्त शासी समूह में फूट व विभाजन में परिणत हो सकता है। असंतुष्ट समूह शासी समूह के विरुद्ध हिंसा भड़का सकता है, अथवा राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए सेना में किसी स्वार्थी गुट की मदद ले सकता है। कभी–कभी ये असंतुष्ट नेता पृथक्तावादी आन्दोलनों का भी समर्थन कर सकते हैं। अधिकांशतः, सैनिक सत्ता–परिवर्तन ऐसे ही विवादों का परिणाम होता है। 1972 के बाद अफ़ग़ान इतिहास, पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ़ौजी तख़्ता–पलट इसी प्रकार की राजनीति के उदाहरण हैं। ये सैनिक सत्ता–परिवर्तन प्रायः बड़े हिंसात्मक होते हैं और व्यापक रक्तपात करवाते हैं।

14-4-6 vkfFkd fLFkfr;k vkj lkis{k opuk **(Relative Deprivation)** dh vo/kkj.kk

आर्थिक स्थितियाँ विभिन्न प्रकार की राजनीतिक हिंसा को जन्म देती हैं, क्योंकि वे जनसाधारण के मस्तिष्क में मनोमालिन्य को जन्म देती हैं। ये सरकार की ग़लत नीतियाँ ही हैं जो समाज के कुछ वर्गों की हिमायत करती हैं और लोगों के एक बड़े वर्ग को ग़रीबी की रेखा से नीचे धकेल देती हैं। सरकार की ग़लत नीतियों की वजह से ही बढ़ती मुद्रास्फीति, लोगों का गिरता जीवन–स्तर, मूल्य–वृद्धि, बेरोज़गारी तथा बाज़ार में अनिवार्य जिंसों की अनुपलब्धता होती है। ये कारक ही लोगों को सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरने और हिंसक प्रदर्शनों में भाग लेने को मजबूर करते हैं। कामगार, किसान, छात्र व समाज के अन्य वर्ग सरकार की नीतियों के खिलाफ़ विरोध करने हेतु प्रदर्शनों में भाग लेते हैं।

परन्तु यह याद रखा जाना चाहिए कि खराब जीवन–दशाएँ ही अकेले हिंसा को जन्म देने के लिए कोई पर्याप्त कारण तैयार नहीं करतीं। कामगारों व किसानों को अपने दिमाग़ में इसके विषय में चेतना अवश्य जगानी चाहिए। जब लोगों का कोई वर्ग यह मानने लगता है कि उसे उन मूल्यवान लाभों से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है जिनका वह हक़दार है, वह आन्दोलन का सहारा लेता है। वंचना स्रोत उन सामाजिक प्रक्रियाओं में निहित होते हैं जो इन दो बातों में फ़र्क पैदा करते हैं – लोग किसके हक़दार हैं, और क्या उन्हें मिलता है। आधुनिक युग में, शिक्षा की वजह से, नए कौशलों को सीखना, नए उपभोग–स्तर व विज्ञापन लोगों के दिमाग़ में वंचना का अहसास जगाते हैं। साक्षेप वंचना का अहसास इस प्रकार राजनीतिक हिंसा को जन्म देता है। आर्थिक वृद्धि का निम्न स्तर लोगों में

ज़बरदस्त नाराज़गी पैदा करता है। पक्षपात रहित द्रुत आर्थिक विकास नाराज़गी दूर कर देता है, यदि विकास के लाभ विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच निष्पक्ष रूप में आबंटित किए जाते हैं।

14-4-7 lehiorhZ ns'kksa }kjk leFkZu

राजनीतिक हिंसा, विशेषकर किसी राज्य में पोषित राजनीतिक हिंसा हमेशा उन निकटवर्ती देशों से समर्थन पाती है, जो विद्वेष रखते हैं। बाहरी देश शस्त्र, धन, प्रशिक्षण व आश्रय के रूप में समर्थन देता है। उदाहरण के लिए, जम्मू–कश्मीर में राजनीतिक हिंसा को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिया जाता है। अमेरिका ने क्यूबा व निकारागुआ में राजद्रोहियों को समर्थन दिया और लीबिया व इराक़ पर इस्लामिक आतंकवादी नेटवर्क को समर्थन देने का आरोप लगाया जाता है।

14-5 jktuhfrd fgalk ds :i

राजनीतिक हिंसा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जो कि लोग सरकार के विरुद्ध अपने मनोमालिन्य व असंतोष को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यह किसी हिंसक प्रदर्शन का रूप ले सकता है अथवा यह कोई युगान्तरकारी क्रांति हो सकती है, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। राजनीतिक हिंसा के उदय को हम निम्नलिखित रूपों में देखते हैं :

1) सरकार के विरुद्ध लोगों के हिंसक विरोध–प्रदर्शन

2) आतंकवाद

3) सैन्य विद्रोह एवं तख़्ता–पलट

4) विद्रोह एवं राजद्रोह

5) युद्ध।

14-5-1 ljdkj ds fo#) yksxksa }kjk fgald fojks/k&izn'kZu

सामान्यतः, लोग हिंसा का सहारा तब लेते हैं, जब उनको उपलब्ध सभी सांवैधानिक उपाय विफल हो जाते हैं, लोगों के हिंसक विरोध–प्रदर्शन विभिन्न रूप ले लेते हैं। एक असंगठित उत्तेजित भीड़ व्यापक नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि बलवाई सरकारी प्राधिकार–प्रतीकों पर हमला करते हैं, जैसे सरकारी कार्यालय, रेलवे व बसें। वे सरकार के सामान्य कामकाज को भंग करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की हिंसा स्वभावतः यत्र–तत्र घटित होती है और वह अपना विरोध दर्ज करने के बाद समाप्त हो जाती है। परन्तु, इन हिंसक दंगों की वजह से, सरकारें हिंसा फैलने से रोकने हेतु अपनी नीतियाँ सुधारने को प्रवृत्त होती हैं।

वे समूह जो सुसंगठित होते हैं, सरकार के विरुद्ध लोगों को संघटित करते हैं और विरोध के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। वे कार्य–स्थगन, 'बंद', व 'हड़ताल' आदि की घोषणा कर देते हैं। यदा–कदा वे हिंसक प्रदर्शनों व मोर्चों का आयोजन करते हैं। यदि सरकार का केन्द्रीय प्राधिकरण कमज़ोर है और उसमें न्यायशीलता का अभाव है, तो एक सुसंगठित प्रदर्शन सरकार को गिरवा सकता है। परन्तु ऐसा कदाचित् ही होता है। अन्यथा, उत्तेजित भीड़ों के हिंसक विरोध–प्रदर्शनों का प्रभाव स्वभावतः अस्थायी होता है, क्योंकि सरकार उसे नियंत्रित करने के लिए दमनकारी कदम उठाती है।

14-5-2 vkradokn

आधुनिक युग में, आतंकवाद राजनीतिक हिंसा का एक महत्त्वपूर्ण रूप बन गया है क्योंकि एक बड़ी संख्या में युवाजन सरकार में परिवर्तन लाने के लिए आतंकवादी गुटों में शामिल हो जाते हैं। आतंकवादियों द्वारा आतंकवाद का हथियार इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि वे राज्य के खिलाफ़ खुला युद्ध नहीं छेड़ सकते, क्योंकि राज्य के पास उसके नियंत्रण के लिए श्रेष्ठ शक्ति होती है। परन्तु आतंकवादी हिंसक तरीके अपनाने को दृढ़प्रतिज्ञ होते हैं, क्योंकि उनका मत है कि विरोधी बन्दूक की ही भाषा समझते हैं। समाज में भी उनकी सत्ता बन्दूक पर ही निर्भर होती है। आतंकवादी राज्य प्राधिकरणों को सबक सिखाने के लिए सभी प्रकार के तरीके अपनाते हैं। उनकी गतिविधियाँ किसी पुल को उड़ा देने अथवा किसी बाँध की दीवार को तोड़ देने से शुरू होती हैं। परन्तु अपनी गतिविधियों की प्रक्रिया में, वे अपने संचालन क्षेत्र को विस्तीर्ण करते हैं। ये आतंकवादी तोड़–फोड़, हत्या, अचानक बन्दूक चलाकर बड़ी संख्या में नरसंहार, किसी विमान अथवा बस का अपहरण, फ़िरौती के लिए लोगों को पकड़ लेने, व्यक्ति अपहरण, राजनीतिक हत्याओं, लूट–खसोट, पूजास्थलों व दुकानों में आग लगा देने, जातीय व सांप्रदायिक दंगों को भड़काने आदि गतिविधियों में लग जाते हैं। ये आतंकवादी राज्य प्राधिकरणों को परेशान करने में सफल रहते हैं, क्योंकि उनके कृत्यों में अचानक धर दबाने की क्रिया का तत्त्व शामिल होता है। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल ईलम, विभिन्न फ़लिस्तीनी गुरिल्ला संगठन, अलक़ायदा खाड़कू आदि कुछ सर्वाधिक हिंसक एवं दुर्दान्त आतंकवादी संगठन हैं। भारत में, हम आतंकवादियों की गतिविधियाँ जम्मू–कश्मीर, पंजाब, नागालैण्ड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा व मिज़ोरम में देखते रहे हैं। नागा खाड़कू अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ गत चार सालों से चला रहे हैं। अपनी आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से ये आतंकवादी विद्रोहात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रशिक्षित सशस्त्र स्कंध कायम करना चाहते हैं। परन्तु उनमें से अधिकांश सफल नहीं होते। यह सत्य है कि कुछ आतंकवादी संगठन अपनी निजी नागरिक सेनाएँ गठित करने में सफल रहते हैं, परन्तु वे आधुनिक राज्य की भलीभाँति तैनात नियमित सेना से नहीं लड़ सकते, जो कि प्रायः किसी महाशक्ति द्वारा समर्थित होती है। छापामार युद्ध सफल तब होता है, जब राज्य प्राधिकरण अत्यधिक कमज़ोर होते हैं और जब उनका परवान राजधानी से परे नहीं चलता। दक्षिण वियतनाम में, वियत कॉङ्ग छापामार सफल रहे, क्योंकि दक्षिण वियतनामी राज्य कमज़ोर था।

आतंकवादी अपराध का सहारा लेते हैं, परन्तु वे साधारण अपराधी नहीं होते क्योंकि वे वैचारिक रूप से प्रेरित होते हैं और एक बेहतर समाज स्थापित करने का सपना देखते हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ उनकी विचारधारा द्वारा वैध सिद्ध होती हैं। आतंकवाद के वैचारिक अभिविन्यास के हम तीन भिन्न चरण देख सकते हैंः अपने प्रथम चरण में, उनका लक्ष्य था राष्ट्रीय स्वतंत्रता। द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात् दूसरे चरण में, अधिकांश आतंकवादियों ने अपनी अनुषक्ति विप्लववादी समाजवाद के प्रति रखी और वर्तमान में उनका दिग्विन्यास धार्मिक रूढ़िवाद नृजातीय अलगाववाद है। हर आतंकवादी आन्दोलन का अपना बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो हिंसा प्रयोग की वैज्ञानिक व्यवस्था करता है।

14-5-3 lU; fonkg vkj r[rk&iyV

आधुनिक युग में, देश की सेना अथवा सशस्त्र बल तीसरी दुनिया की राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उन समाजों में एकमात्र वही उपलब्ध सुसंगठित बल होते हैं, जो राज्य और राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं। राजनीतिक हिंसा में सैन्य आवेष्टन दो रूपों में प्रकट

होता है : 1) सैनिकों का गदर और 2) फौज़ी तख़्ता–पलट अथवा 'कू डे टा' अर्थात् शासन में हिंसात्मक परिवर्तन।

दुनियाभर में सशस्त्र बलों में असंतुष्ट तत्त्व ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं। यह राजद्रोह ही 'गदर' कहलाता है। कुछ आर्थिक या राजनीतिक कारणों से, ये सैनिक हथियार उठा लेते हैं और हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी सेना के भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ विद्रोह किया और बड़ी संख्या में अपने ब्रिटिश अफ़सरों को मार डाला। सामान्यतः किसी गदर को हमेशा राज्य प्राधिकरणों द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि सैनिक शस्त्र व प्रशिक्षण सम्पन्न होते हैं और वे बड़ी संख्या में होते हैं। परन्तु यदि गदर का कोई वैचारिक आधार नहीं है, देर–सबेर वह राज्य प्राधिकरणों के नियंत्रण में आ ही जाता है।

राजनीतिक हिंसा का दूसरा रूप है, 'कू डे टा' का सफल प्रबन्ध कर सैन्य सत्ता–परिवर्तन। सैन्य सत्ता–परिवर्तन या तख्ता–पलट का अर्थ है, राज्य के मुख्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण स्थापित करके राजनीतिक सत्ता हथियाने हेतु सेनाधिकारियों के किसी समूह द्वारा एक तीव्र सशस्त्र विद्रोह। यह एक सुनियोजित कार्यवाही होती है, जिसमें जन–साधारण को अनदेखा कर दिया जाता है। यदि राज्य–विप्लव के नेताओं को स्थिति पर नियंत्रण कर लेने का पूरा विश्वास हो, वे हिंसा का सहारा नहीं भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में, अधिकतर फ़ौजी तख़्ता–पलट रक्तहीन रहे। परन्तु यदि राज्य–विप्लव नेताओं को सफलता प्राप्त होने का भरोसा नहीं है, वे लोगों के दिमाग़ में आतंक व्याप्त करने के लिए हिंसा के उग्र रूप को प्रश्रय दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1975 में बंग्लादेश में, राष्ट्रपति शेख मुजिबुर्रहमान व उनके पूरे परिवार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। 1965–66 में इण्डोनेशिया में सैन्य राज्य–विल्लव बहुत ज़्यादा हिंसापूर्ण था। 1973 के उपरांत अफ़ग़ानिस्तान में सभी सैन्य सत्ता–परिवर्तन हिंसक रहे। सैन्य सत्ता–परिवर्तन में जन–साधारण शामिल नहीं होता और अनेक अफ्रीकी–एशियाई व लैटिन अमेरिकी देशों में, सेना लोकतांत्रिक सरकार को हटा देती है और सत्ता हड़प लेती है। इन देशों में अधिकांश दुर्दान्त तानाशाह सेना जनरल ही हैं।

14-5-4 fonkg vkj jkt nkg

हमने देखा कि आतंकवादी हिंसा अथवा सैन्य विद्रोहों तक को जन–साधारण के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। यह अनिवार्यतः लोगों के एक कृतसंकल्प समूह द्वारा की गई कार्रवाई होती है। परन्तु विद्रोह व राजद्रोह आम असंतुष्टि की वजह से ही होते हैं। विद्रोह समाज के कुछ निश्चित वर्गों के क्रोध को प्रकट करते हैं और सरकार की नीतियों को बदल डालने अथवा सरकार में परिवर्तन पर अभिलक्षित होते हैं। विद्रोह देश के विभिन्न भागों में हो सकते हैं और विद्रोहियों की माँगें नितान्त जातीय हो सकती हैं। यदि इन विद्रोहों के साथ एक उच्च कोटि का संगठन और जनता के व्यापक वर्गों की अनुक्त स्वीकृति है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक गंभीर रूप ले लिया है। इसमें वृहद्–स्तरीय आतंकवाद और गृह–युद्ध शामिल हैं। विद्रोह आगे चलकर राजद्रोह में प्रकट हो सकता है।

राजद्रोह विद्रोह की दूसरी अवस्था इस अर्थ में है कि इस चरण में, राजद्रोही वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं और वे भावी समाज का सपना विकसित कर चुके होते हैं। समाजवादी अथवा राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण, उन्हें बड़ी संख्या में जन–समर्थन प्राप्त होता है। यदि राजद्रोही किसी भौगोलिक

रूप से परिसीमित क्षेत्र अथवा राज्य–विशेष के कुशल–नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों में संकेंद्रित होने में सक्षम हैं, अथवा यदि कोई बाहरी समर्थन उन्हें प्राप्त है, यह राजद्रोह सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लेता है, जिसे आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। राजद्रोही सामान्यतः छापामार युद्ध–कार्यप्रणाली अपनाते हैं क्योंकि उनके पास राज्य बलों से लड़ने हेतु सामरिक शक्ति का अभाव होता है। राज्य की सामरिक श्रेष्ठता को मात देने के लिए, ये छापामार वैचारिक प्रबोधन के माध्यम से अथवा पुनर्वितरणकारी नीति–विषयक वायदों से लोगों का समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। वे बाहरी हुकूमत समाप्त कर भूमिहीनों को भूमि, नृजातीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता व राजनीतिक समानता का विश्वास दिलाते हैं। क्रांतिकारी छापामार युद्ध–कार्य चीन, वियतनाम व क्यूबा जैसे देशों में सफल रहे परन्तु ये ग्रीस, फिलीपीन्स व ईरान में विफल रहे। परिपूर्णप्राय क्षिप्रग्राहिता, गतिशीलता, नियत सैन्य संभार–तंत्र से छुटकारा और अचानक धर दबाने की क्रिया आदि सफल छापामार कार्रवाइयों के अभिलक्षण हैं परन्तु उत्तरोत्तर रूप से राज्य संगठनों व राज्य बलों के सबलीकृत होने के कारण छापामार ऐसी सफलताओं को हासिल करने में नाकामयाब रहे हैं, जो कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के फ़ौरन बाद कमज़ोर राज्यों के विरुद्ध मिली थी।

14-5-5 ;|)

युद्ध राजनीतिक हिंसा की पराकाष्ठा है, इस अर्थ में कि युद्ध दो प्रतिस्पर्द्धी बलों को परस्पर आमने–सामने ला खड़ा करता है और सशस्त्र–बल संतुलन के आधार पर मामला निबटाता है। जंग, लड़ाई या युद्ध उतना ही पुराना है, जितना कि मानव इतिहास, और हिंसा व रक्तपात इसके मर्म हैं। युद्ध दो प्रकार के होते हैं : 1) देश के बाह्य शत्रु के साथ युद्ध और 2) आन्तरिक युद्ध, जो राज्य बलों व राजद्रोहियों के बीच होता है (गृह–युद्ध)।

बाह्य युद्ध व्यापाक क्षति और विनाश उत्पन्न करता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष भारी सेनाओं, व्यापक विनाश के आधुनिक हथियारों तथा वायु सैन्यबल का प्रयोग करते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध लाखों लोगों की मौत का कारण बना और सभी युद्धों में द्वितीय विश्वयुद्ध सर्वाधिक विनाशकारी था। मामला सुलझाने के लिए अमेरिका द्वारा आण्विक हथियारों का प्रयोग किया गया।

आंतरिक युद्ध केन्द्र–सरकार बलों व अलगाववादी ताकतों के बीच लड़ा जाता है। यह जनता के कुछ वर्ग–विशेषों द्वारा विद्रोह अथवा लोगों के व्यापक जन–समूह द्वारा राजद्रोह हो सकता है। 1860 के दशक में, अमेरिका में दासता–उन्मूलन के मसले पर उत्तरी व दक्षिणी राज्यों के बीच एक गृह–युद्ध देखा गया। आंतरिक युद्ध समान रूप से विध्वंसकारी है और यह व्यापक विनाश और जनसंहार को जन्म दे सकता है। लेबनान, यूगोस्लाविया, नाइजीरिया व भारत में हिंसक आंतरिक युद्ध आदि उदाहरण हमारे सामने हैं। इस प्रकार, आधुनिक युग में राजनीतिक हिंसा विभिन्न रूप धरती है। क्रांति भी एक विशेष प्रकार की राजनीतिक हिंसा है।

14-6 Økfr

क्रांति अनिवार्यतः एक आधुनिक दृश्यघटना है क्योंकि इसका मंतव्य समाज का सम्पूर्ण कायान्तरण होता है। क्रांतियों की पहचान हैं – व्यापक हिंसा, सामाजिक उद्वेग तथा वैचारिक वचनबद्धता। नई क्रांतिकारी विचारधारा आमूल परिवर्तनवादी, युक्तियुक्त, लोकतांत्रिक व सार्वत्रिक है। आधुनिक

क्रांतियाँ किसी दुष्ट शासक के स्थान पर एक दयालु शासक बैठा देने तक सीमित नहीं होतीं बल्कि उनके पास समुदाय के वैध प्रतिनिधियों द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था की पुनर्संरचना–संबंधी एक आधुनिकतावादी कार्यसूची होती है।

14-6-1 Økfr dk vFk

जैसा कि हमने देखा, क्रांतियों समाज के मूल प्राधार को बदल डालने पर अभिलक्षित होती हैं। वे समाज के राज्य व वर्ग संरचनाओं का तत्काल रूपान्तरण करना चाहती हैं। ये नीचे से ही वर्ग–आधारित विद्रोहों के साथ चलती हैं और उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित होती हैं। आधुनिक क्रांतियाँ पूर्व विद्रोहों से इस अर्थ में भिन्न होती हैं कि परवर्ती समाज व राष्ट्र में मूल परिवर्तन का नहीं सोचते थे और सरकार में परिवर्तन विषयक रुचि ज़्यादा रखते थे। आधुनिक क्रांति अपने लक्ष्य स्पष्टतः परिभाषित रखती है और इसके नेतागण उसे पूर्णता तक पहुँचाने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं। इसके नेताओं को उस सुपरिभाषित सिद्धांत का सहारा होता है, जो क्रांतिकारी हिंसा को ज़ायज ठहराता है।

14-6-2 Økfr d rhu pj.k

हम कह सकते हैं कि क्रांति के तीन भिन्न चरण होते हैं। क्रांति का प्रथम चरण है व्यापक अवस्था। क्रांति का दूसरा चरण है, समाजवादी अवस्था और क्रांति का तीसरा चरण है, तीसरी दुनिया के देशों में क्रांतियाँ।

क्रांति की शास्त्रीय अवस्था इंग्लैण्ड में 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश गृह–युद्ध के दौरान शुरू हुई, जिसने वहाँ शाही निरंकुशता को समाप्त कर दिया। इसके बाद हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जो अभूतपूर्व हिंसा और रक्तपात की गवाह है। इसने फ्रांस में सामंतवाद का अंत कर दिया और आधुनिक पूँजीवादी समाज के उदय हेतु मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिकी क्रांति ने विदेशी शासन को समाप्त कर दिया और वहाँ एक संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की। इन तीनों क्रांतियों ने राज्य संगठनों, वर्ग प्राधारों व प्रबल विचारधाराओं को कायान्तरित कर दिया। व्यापक क्रांतियों के बाद हुईं 20वीं शती की समाजवादी क्रांतियाँ। इसका आरम्भ रूस में 1917 की अक्तूबर क्रांति से हुआ। इसके उपरांत हुईं 1949 में चीनी क्रांति तथा 1961 में क्यूबन क्रांति। वैचारिक रूप से, इन क्रांतियों के नेता ज़्यादा उग्र उन्मूलनवादी थे, इस अर्थ में कि वे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्राधारों का पूरी तरह कायान्तरण करना चाहते थे। यद्यपि सभी समाजवादी क्रांतिकारी मार्क्सवादी दर्शन और अन्तरराष्ट्रीय सर्वहारा क्रांति–संबंधी लेनिनवादी राजनीति में विश्वास रखते थे, उन्होंने क्रांति लाने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया।

तीसरे चरण में, क्रांतियाँ तीसरी दुनिया के देशों में देखी गईं। 1953 के मिस्र (Egyptian) विद्रोह ने अरब देशों में नई राजनीति के उदय हेतु मार्ग प्रशस्त किया। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति महान् क्रांतियों में अन्तिम थी, जिसने आमूल परिवर्तनवादी इस्लाम के सिद्धांतों पर ईरानी समाज को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रयास किया।

14-6-3 Økafr ds fl)kar

क्रांति की तीन सुव्यक्त परिकल्पनाएँ हैं। वे परिकल्पनाएँ क्रांति के कारणों, उद्देश्यों व परिणामों की जाँच–पड़ताल करती हैं, और उस विचारधारा पर प्रकाश डालती है जो लोगों की निष्ठा प्राप्त करती है। क्रांति की पहली परिकल्पना टैड राबर्ट गुर द्वारा अपनी पुस्तक *'वाई मॅन रॅबल!'* में प्रतिपादित की गई। उनका कहना है कि क्रांति एक प्रकार की राजनीतिक हिंसा है और यह राज्य द्वारा रखे जाने वाले बल–प्रयोग एकाधिकार को चुनौती देती है। उनके दृष्टिकोण में क्रांति के तीन अभिलक्षण हैं – उपद्रव, षड़्यंत्र और आंतरिक युद्ध। असंतोष और राजद्रोह की मुख्य वजह लोगों की सापेक्ष वंचना होती है। वंचना यदि अधिक होगी, हिंसा की मात्रा भी बढ़ेगी। उनका विचार है कि पहले तो लोगों का असंतोष सामने आता है, फिर असंतोष का राजनीतिकरण होता है और अन्ततः राज्य के विरुद्ध हिंसक कृत्य में उसका यथार्थीकरण होता है। उनका दावा है कि असंतुष्ट आभिजात वर्ग क्रांति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

सी. जॉनसन ने क्रांति को एक नियमित असंतुलन के रूप में समझने का प्रयास किया। उनका मत है कि क्रांति सामाजिक असंतुलन एवं नियमित वैषम्यता के बढ़ने से आती है। ये असंतुलन लोगों के लाभों में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं। यह परिवर्तन उस परिवेश के कारण भी हो सकते हैं, जिसमें वह सामाजिक व्यवस्था स्थित है। ये परिवर्तन विशेषरूप से आकस्मिक और तीव्र होने चाहिए। वह ज़ोर देकर कहते हैं कि वैषम्यता क्रांति को जन्म देती है, क्योंकि व्यवस्थाएँ सुधारक कदम उठाकर क्षतिपूर्ति कर सकती हैं। उनका विचार है कि क्रांति का प्रथम कारण है, सत्ता अपस्फीति। सत्ता अपस्फीति की प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब व्यवस्था अपने कर्त्तव्य–पालन में विफल रहती है और अपना विश्वास व वैधता खो देती है। उसको कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा कारण है, सत्ता अपस्फीति से उबरने के लिए 'समक्रमण' लाने हेतु वैध नेताओं की अक्षमता। यदि वे विश्वास दोबारा हासिल करने में असमर्थ रहते हैं, प्राधिकार की निर्णायक क्षति परिणामस्वरूप घटित होती है और राज्य द्वारा बल–प्रयोग को फिर न्यायसंगत नहीं समझा जाता। सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता और राजद्रोहियों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई शुरू करने की प्रभावशीलता तत्काल भंग हो जाती है।

क्रांति की तीसरी परिकल्पना है, मार्क्सवादी सिद्धांत, जो वर्ग–संघर्ष में विश्वास रखता है। मार्क्स के अनुसार, हमारा ज्ञात इतिहास सम्पन्नों व विपन्नों के बीच वर्ग–संघर्ष का ही इतिहास है और उनके बीच यह प्रतिवाद विकास की पूँजीवादी अवस्था में खुलकर सामने आता है। पूँजीपति लोग कर्मचारियों के श्रम से बेशी लाभ ऐंठकर उन्हें शोषित करते हैं और व्यापक ग़रीबी और कंगाली लाते हैं। परिणामस्वरूप, पूँजीपतियों व कामगारों के बीच वर्ग–संघर्ष प्रचण्ड हो उठता है। इस संघर्ष में राज्य वर्ग शासन के एक हथियार के रूप पूँजीपति वर्गों का समर्थन करता है। कामगार जन हिंसक क्रांति करवाते हैं। सर्वहारा क्रांति का उद्देश्य पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और उसके स्थान पर समाजवादी व्यवस्था लाना होता है। एक वर्गरहित व राज्यरहित समाज की स्थापना ही समाजवादी क्रांति का परम उद्देश्य होता है।

ये तीनों ही परिकल्पनाएँ यह संकेत देती हैं कि हिंसा क्रांति में एक अहम् भूमिका निभाती है, क्योंकि विप्लवकारी बल–प्रयोग को लेकर राज्य के एकाधिकार को ललकारना उसे ख़त्म करना चाहते हैं और वे राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं।

14-7 jktuhfrd fgalk ij dkcw ikus dh rjhds

अपनी पूर्ववर्ती चर्चा में हमने राजनीतिक हिंसा की प्रकृति व कारणों को जाना। इस भाग में हम हिंसा के तरीकों का अध्ययन करेंगे। हिंसा से निज़ात पाने के लिए राज्य तीन विभिन्न विधियाँ अपनाता है, जो इस प्रकार हैं : 1) उदारवादियों की उपचारी विधि जो सुधारों में विश्वास रखती है, 2) बल–प्रयोग विधि, और 3) दाम–दण्ड नीति विधि।

14-7-1 lq/kkjksa o mipkjksa okyh fof/k;k

उदारवादियों व सुधारवादियों का मत है कि सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यक सुधारों को अपनाकर राजनीतिक हिंसा पर काबू पाया जा सकता है। उनका दावा है कि राजनीतिक हिंसा हमारी सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और यह राज्य–हिंसा के प्रति एक विषघ्न के रूप में व्यवस्था में ही स्थापित है। अतएव, यह आवश्यक है कि सरकार लोगों के असंतोष व क्रोध को कम करने हेतु उपचारी कदम उठाए। सामाजिक व आर्थिक शिकायतों को इन दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुधारों का सूत्रपात करके दूर किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं – लोगों को अवसर की समानता प्रदान करना, कर–भार को कम करना, धन–सम्पत्ति का साम्यिक वितरण तथा राज्य व समाज द्वारा थोपी गई सभी निर्योग्यताओं का निराकरण। समाज के सभी वर्गों के साथ वाज़िब सलूक आवश्यक है।

उदारवादी जन शिक्षा की रीति में विश्वास रखते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि अन्तोगत्वा, हिंसा–प्रयोग इस अर्थ में युक्तिहीन है कि इसने मनुष्य में निकृष्ट तत्त्वों को उभारा है। इंसान ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है, क्योंकि वह हिंसा पर नियंत्रण करना सीख चुका है। आदमी ने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने हेतु एक नई नियम शृंखला विकसित कर ली है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विवशताएँ लोगों को विश्वास दिलाएँगी कि वे युद्ध की अपेक्षा शान्ति में ज़्यादा अर्थोपार्जन कर सकते हैं। हिंसा समाज की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं कर सकती। अतएव, उदारवादी चाहते हैं कि लोग विवादों को हल करने के लिए संवैधानिक कार्यप्रणाली का संचालन सीखें। वे हिंसा को दबाने के लिए कम से कम राज्य–हिंसा का प्रयोग चाहते हैं। उनका दावा है कि समाज की बुनियादी समस्याएँ केवल सर्वसम्मतियों व अनुबंध द्वारा ही हल की जा सकती हैं।

14-7-2 cy&iz;ksx fof/k

वे लोग जो बल–प्रयोग रीति का सहारा लेते हैं, उनका विश्वास है कि राजद्रोहियों ने संज्ञापूर्ण तरीके से ही हिंसा का रास्ता चुना है और उन्हें इसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं किया जा सकता है। राजद्रोहियों की हिंसा का मुकाबला बड़ी राज्य–हिंसा से ही किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप राजद्रोहियों को नहीं मार सकते, वे आपको मार डालेंगे। राज्य को अपनी क्षिप्रग्राहिता को मज़बूत करना चाहिए और आतंकवादियों के भीतरी घेरे को भेदने का प्रयास करना चाहिए। उसको दण्ड–भेद नीति को अपनाना चाहिए और राजद्रोहियों को तटस्थ व अस्तव्यस्त कर देना चाहिए। कौटिल्य ने अपने *अर्थशास्त्र* में सुझाया कि राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ़ कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये नेता ही विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया करते हैं। किसी भी सूरत में उसको जनसमुदाय के

खिलाफ़ बल–प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यापक रक्तपात में परिणत हो सकता है। वह अपनी प्रतिक्रिया लोगों के विभिन्न वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर ही युक्तिपूर्वक व्यक्त करे और सुनिश्चित करे कि राजद्रोहियों को बाहरी समर्थन मिलना बंद हो। यद्यपि उसने विद्रोह के बल–प्रयोग का सुझाव दिया, उसने बड़ी तत्परता से ज़ोर देकर कहा कि विद्रोह के कारण पर अवश्य ही ध्यान दिया जाए।

14-7-3 nke&n.M uhfr

दाम–दण्ड नीति एक दोहरी नीति है, जो प्रतिपक्ष में नरम व उग्रवादी तत्त्वों के बीच एक मेख ठोंक देने पर अभिलक्षित है। सरकार मध्यमार्गियों हेतु पुरस्कारों व रियायतों का प्रस्ताव रख सकती है, परन्तु साथ ही, वह उग्रवादियों के खिलाफ़ अपनी सैन्य कार्रवाइयाँ जारी रख सकती है। यदि ये मध्यमार्गी सरकार के साथ कोई सौदा करने के लिए समर्थन जुटाने में समर्थ होते हैं, तो उग्रवादी समर्थन खो देते हैं और उस प्रक्रिया में, वे निष्प्रभावी हो जाते हैं। परन्तु यदि मध्यमार्गी समर्थन जुटाने में असफल रहते हैं, उग्रवादी जन उन्हें 'सरकार का एजेण्ट' नाम दे सकते हैं और उनके समर्थन–आधार को ध्वस्त कर सकते हैं। अतएव, पुरस्कार–व–दण्ड के तरीके को बहुत ही सावधानी के साथ अपनाना पड़ता है।

हिंसा पर विजय पाने के लिए राज्य विभिन्न तरीके अपना सकता है, परन्तु उसे सर्वप्रथम विद्रोह के कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कौटिल्य ने कहा है कि महज राजद्रोहियों को मारकर ही राजद्रोह को नहीं रोका जा सकता। उस कारण को दूर करना ज़रूरी है, जो नए राजद्रोहियों का जन्म दे रहा है।

जैसा कि हमने देखा, राज्य–व्यवहार ही हिंसा को जन्म देते हैं क्योंकि वो राजद्रोही अथवा आतंकवादी नहीं थे जिन्होंने आयरलैण्ड को विभाजित किया अथवा फ़लिस्तीनियों को निर्वासन में खदेड़ा अथवा दक्षिण अफ्रीका में श्वेत–शासन थोपा अथवा इराक़ में हज़ारों बेक़ुसूर इंसानों को मार डाला। राज्य–हिंसा ही आतंकवाद की कोख है, विश्वासघात व मानमर्दन इसका पालना है, और प्रतिशोध इसका मातृदुग्ध। इसी कारण, वे राज्य, जो बल–प्रयोग द्वारा अपने अनुभवजन्य हितों के प्रति वचनबद्ध हैं, यह नहीं मानने वाले कि राजनीतिक हिंसा व आतंकवाद उनकी नीतियों के प्रत्युत्तर के साथ–साथ उनकी शैली का अनुकरण भी हैं। राज्य अपनी नीतियों को न्याय व निष्पक्ष गतिविधि के आधार पर पहचानें और वर्गों, राष्ट्रों व नृजातीय समुदायों के दमन को जारी रखना बंद करें ताकि हिंसा के मूल कारण का निवारण हो सके।

14-8 lkjk'k

इस इकाई में, आपने आधुनिक युग में राजनीतिक हिंसा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। राजनीतिक हिंसा स्वयं राजनीतिक प्रक्रिया में ही स्थापित है, क्योंकि राज्य बल–प्रयोग पर एकाधिकार करने का प्रयास करता है। राजनीतिक हिंसा के विभिन्न कारण हैं, परन्तु सरकार की वैधता का लोप और समाज के विभिन्न वर्गों की माँगों को समंजित करने हेतु राजनीतिक व्यवस्था की अक्षमता ही महत्त्वपूर्ण कारण हैं। धार्मिक व नृजातीय मतभेद भी हिंसा उकसाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक हिंसा विभिन्न रूपों में दिखती है, जैसे उपद्रव, छुट–पुट हिंसा और आंतरिक युद्ध। आधुनिक युग में, क्रांति राजनीतिक हिंसा का एक प्रयोजनीय रूप है, क्योंकि वह समाज की

सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संस्थाओं को बुनियादी रूप से पुनर्संरचित करने का प्रयास करती है। राज्य हिंसा पर काबू पाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक यह दावा करते हैं कि लोगों की शिकायतों का प्रतिकार करके, व्यवस्था का सुधार करके और ऐसे संवैधानिक उपचारों को युक्तिपूर्वक सोचकर, जो सामाजिक व राजनीतिक विवादों का शांतिपूर्ण हल प्रस्तुत करें, ही हिंसा पर काबू पाया जा सकता है।

14-9 vH;kl

1. राजनीतिक हिंसा की प्रकृति व कार्यक्षेत्र क्या हैं?
2. राजनीतिक एकीकरण की समस्याएँ किस प्रकार आधुनिक समाज में हिंसा को जन्म देती हैं?
3. आर्थिक विकास राजनीतिक हिंसा को क्यों जन्म देता है?
4. राजनीतिक हिंसा के सामान्य कारण क्या हैं?
5. राजनीतिक हिंसा के उदय में आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका पर संक्षेप में चर्चा करें।
6. आतंकवादी हिंसा के मुख्य अभिलक्षणों को उजागर करें।
7. राजनीतिक हिंसा में सैन्य आवेष्टन की प्रकृति पर संक्षिप्त में चर्चा करें।
8. राजनीतिक हिंसा के एक रूप में युद्ध पर एक टिप्पणी लिखें।
9. क्रांति की परिकल्पनाओं पर एक टिप्पणी लिखें।
10. राजनीतिक हिंसा पर काबू पाने का उदारवादी तरीका क्या है?